

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 132]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 14, 2014/फाल्गुन 23, 1935

No. 132]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 14, 2014/PHALGUNA 23, 1935

पर्यावरण और वन मंत्रालय

(वन संरक्षण प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2014

सा.का.नि. 185(अ).—केन्द्रीय सरकार वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वन (संरक्षण) नियम, 2003 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वन (संरक्षण) संशोधन नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. वन (संरक्षण) नियम, 2003 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 में, —

(i) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(खक) ‘वन संरक्षक’ से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत जिसे उस वन भूमि जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार का अनुमोदन अपेक्षित है, पर अधिकारिता रखने वाले वन सर्किल का भार धारण करने के लिए वन संरक्षक मुख्य वनपाल या प्रादेशिक मुख्य वनपाल के पदाभिधान या किसी ऐसे सदृश्य पदाभिधान के अधीन यथास्थिति राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा नियुक्त किया गया है ;”।

(ii) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(गक) ‘प्रभागीय वन अधिकारी’ से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जिसे उस वन भूमि जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार का अनुमोदन अपेक्षित है, पर अधिकारिता रखने वाले वन प्रभाग का भार धारण करने के लिए प्रभागीय वन अधिकारी या उप वन संरक्षक के पदाभिधान या किसी ऐसे सदृश्य पदाभिधान के अधीन यथास्थिति राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा नियुक्त किया गया है ;”

3. उक्त नियमों के लिए नियम 6 और नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :-

“6. अधिनियम की धारा 2 के अधीन केंद्रीय सरकार का अनुमोदन चाहने वाले प्रस्ताव की प्रस्तुति

(1) प्रत्येक प्रयोक्ता अभिकरण जो गैर वानिकी प्रयोजनों के लिए किसी वन भूमि का उपयोग करना चाहता है, इन नियमों से संलग्न सुसंगत प्रारूप अर्थात् : अधिनियम के अधीन पहली बार अनुमोदन चाहने वाले प्रस्ताव के लिए प्रारूप ‘क’ जहाँ अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार का अनुमोदन पहले ही प्राप्त कर लिया गया है वहां पट्टों के नवीकरण की ईप्सा करने वाले प्रस्ताव के लिए

प्ररूप 'ख' और खनिजों के पूर्वक्षण के लिए प्ररूप 'ग' सभी की बाबत पूर्ण अपेक्षित सूचना और दस्तावेजों सहित संबद्ध राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के नोडल अधिकारी को सुसंगत प्ररूप में अपने प्रस्ताव करेगा।

(2) प्रयोक्ता अभिकरण, नोडल अधिकारी के कार्यालय से अभिप्राप्ति की रसीद की प्रति के साथ प्रस्ताव की एक प्रति संबद्ध प्रभागीय वन अधिकारी, जिला कलेक्टर और प्रादेशिक कार्यालय साथ ही पर्यावरण और वन मंत्रालय के वन संरक्षण प्रभाग के निगरानी प्रकोष्ठ को पृष्ठांकित करेगा।

3 (क) यथास्थिति, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन का नोडल अधिकारी उपधारा (1) के अधीन प्रस्ताव प्राप्त करने के पश्चात् और उसका यह समाधान हो जाने पर कि सभी प्रकार से प्रस्ताव पूर्ण है और यह अधिनियम की धारा 2 के अधीन पूर्व अनुमोदन की अपेक्षा करता है, प्रस्ताव की प्राप्ति के दस दिन की अवधि के भीतर संबद्ध प्रभागीय वन अधिकारी और जिला कलेक्टर को प्रस्ताव भेजेगा।

(ख) यथास्थिति, राज्य सरकार या संघ राज्य सरकार प्रशासन का नोडल अधिकारी यदि यह पाता है कि प्रस्ताव अपूर्ण है तो वह उपभोक्ता अभिकरण को दस दिन की अवधि के भीतर इसे वापस करेगा और और प्रस्ताव को पुनः प्रस्तुत किए जाने के लिए उपभोक्ता अभिकरण द्वारा ली गई यह समय अवधि और लिए गए समय को किसी भावी संदर्भ के लिए गणना में नहीं लिया जाएगा।

(ग) प्रभागीय वन अधिकारी, वास्तविक ब्यौरे और प्रस्ताव की संभाव्यता की जांच करेगा, मानचित्र प्रमाणित करेगा, स्थल निरीक्षण और वृक्षों की मसिगणना करेगा और इस संबंध में विनिर्दिष्ट फॉर्मेट में अपने निष्कर्ष वन संरक्षक को अग्रेषित करेगा।

(घ) प्रभागीय वन अधिकारी, चालीस हैक्टर तक, चालीस हैक्टर से अधिक और एक सौ हैक्टर तक तथा एक सौ हैक्टर से अधिक वन भूमि को सम्मिलित करने वाले प्रस्ताव पर अपने निष्कर्ष क्रमशः तीस दिन, पैंतालीस दिन और साठ दिन की अवधि के भीतर वन संरक्षक को भेजेगा।

(ङ) जिला कलेक्टर, अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) (जिसे एफ आर ए के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है) के उपबंधों के अनुसार अधिकारों के परिनिर्धारण के लिए प्रक्रिया पूरी करेगा और ग्राम सभा या ग्राम सभाओं से सम्मति प्राप्त करेगा, जब कभी आवश्यक हो और इस संबंध में विनिर्दिष्ट फॉर्मेट में अपने निष्कर्ष वन संरक्षण को अग्रेषित करेगा।

(च) जिला कलेक्टर, एफ आर ए के अधीन अधिकारों के व्यवस्थापन के संबंध में अपने निष्कर्षों के साथ प्रस्ताव और चालीस हैक्टर तक, चालीस हैक्टर से अधिक और एक सौ हैक्टर तक और एक सौ हैक्टर से अधिक वन भूमि वाले प्रस्ताव की बाबत ग्राम सभा या ग्राम सभाओं की सम्मति जहां अपेक्षित हो क्रमशः तीस दिन, पैंतालीस दिन और साठ दिन की अवधि के भीतर वन संरक्षक को अग्रेषित करेगा।

(छ) वन संरक्षक, वास्तविक ब्यौरे और प्रस्ताव की संभाव्यता की जांच करेगा, अपवर्तन किए जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र चालीस हैक्टर से अधिक है, उस मामले में स्थल निरीक्षण करेगा और अपनी सिफारिशों के साथ प्रस्ताव और एफ आर ए के अधीन अधिकारों के परिनिर्धारण पर रिपोर्ट और जब कभी आवश्यक हो जिला कलेक्टर से प्राप्त संबद्ध ग्राम सभा या ग्राम सभाओं की सम्मति नोडल अधिकारी को अग्रेषित करेगा।

(ज) वन संरक्षक द्वारा प्रक्रिया के लिए लिया गया समय और नोडल अधिकारी को चालीस हैक्टर तक और चालीस हैक्टर अधिक वन भूमि सम्मिलित करते हुए प्रस्ताव क्रमशः दस दिन और तीस दिन से अनधिक के लिए अग्रेषित करेगा।

(झ) नोडल अधिकारी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से सिफारिशों के साथ यथास्थिति राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को प्रस्ताव अग्रेषित करेगा।

(ञ) नोडल अधिकारी पांच हैक्टर तक, पांच हैक्टर से अधिक और चालीस हैक्टर तक और चालीस हैक्टर से अधिक और सौ हैक्टर तक और सौ हैक्टर से अधिक वन भूमि वाले प्रस्ताव पर अपने निष्कर्षों सहित क्रमशः दस दिन, बीस दिन, पच्चीस दिन और तीस दिन की अवधि के भीतर कार्यवाही करेगा और उसे यथास्थिति राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को अग्रेषित करेगा।

(ट) यदि यथास्थिति, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन प्रस्ताव में उपदर्शित वनभूमि को गैर वन के प्रयोजन के लिए यथास्थिति, अनारक्षित या अपवर्तन या पट्टे पर नहीं देने का विनिश्चय कर सकेगा उसी को नोडल अधिकारी से प्राप्त प्रस्ताव की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर प्रयोक्ता अभिकरण को संसूचित किया जाएगा :

परंतु केंद्रीय सरकार या केंद्रीय सरकार उपक्रमों की परियोजनाओं के लिए वन भूमि का अपवर्तन सम्मिलित करते हुए सभी प्रस्ताव जहां यथास्थिति राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन प्रस्ताव में उपदर्शित गैर वानिकी प्रयोजन के लिए यथास्थिति अनारक्षित या अपवर्तन करने के लिए वन भूमि को पट्टे पर देने के लिए सिद्धांततः सहमत नहीं है, वहाँ यथास्थिति राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन की टीका-टिप्पणियों के साथ केंद्रीय सरकार को अग्रेषित किया जाएगा।

(क) यथास्थिति, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन इसकी सिफारिशों के साथ उन सभी प्रस्तावों को अग्रेषित करेगा जहां यथास्थिति, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन गैर वानिकी प्रयोजन के लिए यथास्थिति, अनाश्रित या अपवर्तन करने के लिए या प्रस्ताव में उपदर्शित वन भूमि पट्टे पर समनुदेशित करने के लिए सिद्धांततः सहमत हैं और केंद्रीय सरकार या केंद्रीय सरकार उपक्रमों की परियोजनाओं के लिए वन भूमि के अपवर्तन को अंतर्लित करते हुए सभी प्रस्ताव तीस दिन के भीतर केंद्रीय सरकार को भेजेंगे :

परंतु पुनर्वरोपण के लिए इसके उपयोग के प्रयोजन के लिए वन भूमि या इसके भाग पर वृक्षों को काट गिराने वाले सभी प्रस्ताव कार्य योजना या कार्यकरण स्कीम या प्रबंधन योजना के रूप में भेजे जाएंगे ।

परंतु यह और कि यथास्थिति, संबद्ध राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन इसकी सिफारिशों के साथ प्रस्ताव अग्रेषित करने के बारे में प्रयोक्ता अभिकरण या यथास्थिति प्रादेशिक कार्यालय या पर्यावरण और वन मंत्रालय को सूचना भेजेगा ।

परंतु यह भी कि यथास्थिति, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन में विभिन्न प्राधिकारियों के बीच प्रस्ताव के परिवहन के लिए अनन्य रूप से लिया गया कुल समय प्रत्येक प्राधिकाशी द्वारा प्रस्ताव की कार्यवाही के लिए विनिर्दिष्ट समय अवधि से बीस दिन से अधिक नहीं होगा ।

(ड) जब कभी कार्यवाही के लिए यथास्थिति राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा लिया गया प्रस्ताव के लिए लिया गया समय उपरोक्त (क) से (ठ) अनुबद्ध समय सीमाओं से अधिक होता है तब केंद्रीय सरकार द्वारा केवल तब प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा यदि विलंब के लिए उत्तरदायी होने के लिए धारित किसी व्यक्ति के विरुद्ध की गई कार्यवाही के साथ केंद्रीय सरकार का समाधान करने के लिए विलंब हेतु स्पष्टीकरण दिया जाता है ।

4 (क) चालीस हेक्टर तक वन भूमि सम्मिलित करते हुए उपनियम (3) के खंड (ठ) में निर्दिष्ट प्रस्ताव को इसकी सिफारिशों के साथ यथास्थिति संबद्ध राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा संबद्ध प्रादेशिक कार्यालय को अग्रेषित किया जाएगा ।

(ख) चालीस हेक्टर से अधिक वन भूमि सम्मिलित करते हुए उपनियम (3) के खंड (ड) में निर्दिष्ट प्रस्ताव, संबद्ध यथास्थिति, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा अपनी सिफारिशों के साथ सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार को अग्रेषित किया जाएगा ।

(ग) पुनर्वनरोपण के लिए उसके उपयोग के प्रयोजन के लिए वनभूमि या उसके भाग में वृक्षविहीन क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए उपनियम (3) के खंड (ठ) में निर्दिष्ट प्रस्ताव संबद्ध प्रादेशिक कार्यालय को भेजे जाएंगे ।

7. केंद्रीय सरकार द्वारा प्राप्त प्रस्तावों की प्रक्रिया (1) (क) प्रादेशिक कार्यालय, नियम 6 के उपनियम (4) के खंड (क) और खंड (ग) निर्दिष्ट प्रस्ताव प्राप्त करने के पश्चात् पांच कार्य दिवस के भीतर प्रस्ताव की पूर्णता का अवधारण करेगा ।

(ख) यदि प्रादेशिक कार्यालय यह पाता है कि प्रस्ताव अपूर्ण है, तो वह यथास्थिति राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को उपखंड (क) के अधीन यथाउपदर्शित पांच कार्य दिवस की अवधि के भीतर वापस करेगा और इस अवधि तथा प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत करने के लिए राज्य सरकार द्वारा लिए गये समय की किसी भी बाकी निर्देश के लिए गणना नहीं की जाएगी ।

(2) (क) प्रादेशिक कार्यालय, खनन और अधिक्रमण संबंधी प्रस्ताव से भिन्न पांच हेक्टर तक वनभूमि सम्मिलित करने वाले प्रस्ताव की जांच करेगा जो सभी प्रकार से पूर्ण है प्रस्ताव की ऐसी जांच के पश्चात् और जो वह आवश्यक समझे, अनुबद्ध शर्तों के पूरा होने के अधधीन सिद्धांततः अनुमोदन मंजूर करेगा या यथास्थिति राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन से इसकी प्राप्ति के पच्चीस दिनों के भीतर उसे अस्वीकार करेगा और उसे अगले पांच दिनों के भीतर यथास्थिति संबद्ध राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को संसूचित करेगा ।

(ख) पांच हेक्टर से अधिक और चालीस हेक्टर तक वनभूमि सम्मिलित करते हुए प्रस्ताव और चालीस हेक्टर तक अधिक्रमण और खनन के विनियमतीकरण के लिए सभी प्रस्ताव जो सभी प्रकार से परिपूर्ण हैं, उन्हें राजस्व विभाग वन विभाग, योजना विभाग, या वित्तीय विभाग और संबद्ध विभाग जिसके प्रस्ताव की परीक्षा की जा रही है, यथास्थिति, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के प्रतिनिधियों से मिलकर बनने वाले सलाहकार समूह के परामर्श से प्रादेशिक कार्यालय द्वारा जांच की जाएगी ।

(ग) प्रादेशिक कार्यालय, यथास्थिति, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन से प्रस्ताव की प्राप्ति के पैंतीस दिन की अवधि के भीतर सलाहकार समूह के विचारों के साथ ऐसा प्रस्ताव केंद्रीय सरकार का निनिश्चय अभिप्राप्त करने के लिए सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय को भेजेगा ।

परंतु प्रादेशिक कार्यालय से पर्यावरण और वन मंत्रालय के भेजे जाने के लिए प्रस्ताव के पारगमन में लिया गया समय पांच दिन से अधिक नहीं होगा ।

(घ) केंद्रीय सरकार, सलाहकार समूह के विचारों पर विचार करने के पश्चात् और आगे जांच जो वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात् सिद्धांततः अनुबद्ध शर्तों को पूरा करने के अधीन अनुमोदन प्रदान कर सकेगा या प्रादेशिक कार्यालय से इसकी प्राप्ति के तीस दिन के भीतर उसी को अस्वीकृत कर सकेगा और अगले पांच कार्य दिवसों के भीतर संबद्ध यथास्थिति राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को संसूचित करेगा।

(3) (क) पुनःवनरोपण के लिए इसमें उपयोग के प्रयोजन के लिए वन भूमि या उसके किसी भाग में वृक्षहीन क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए सभी प्रस्तावों का निपटान अंतिम रूप से यथास्थिति राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन से प्रस्तावों की प्राप्ति के साठ दिन की अवधि के भीतर किया जाएगा।

(ख) प्रस्ताव की परीक्षा करते समय प्रादेशिक कार्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि अंतिम विनिश्चय समय समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय वन नीति, कार्यकरण योजना, मार्ग दर्शक सिद्धांत और अन्य सुसंगत नियम तथा मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप हैं।

(ग) तथापि, प्रादेशिक कार्यालय पर्यावरण और वन मंत्रालय की पूर्व अनापत्ति चाहेगा जब कभी सम्मिलित क्षेत्र को ध्यान दिए बिना चालीस प्रतिशत से अधिक पूर्ण घनत्व वाली वन भूमि को वृक्ष विहीनता प्रस्ताव में शामिल है या घनत्व को ध्यान दिए बिना बीस हेक्टर मैदानों में और दस हेक्टेयर पहाड़ी क्षेत्रों में वन विहीन क्षेत्र सम्मिलित हैं।

(4) (क) पर्यावरण और वन मंत्रालय, नियम 6 उपनियम (4) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रस्ताव प्राप्त करने के पश्चात्, दस दिन के भीतर प्रस्ताव की पूर्णता का अवधारण करेगा।

(ख) पर्यावरण और वन मंत्रालय यदि यह पाता है कि प्रस्ताव अपूर्ण है तो यह, यथास्थिति, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को खंड (क) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट दस दिन की अवधि के भीतर वापस करेगा और राज्य सरकार द्वारा पुनः प्रस्तुत करने में ली गई समय अवधि और समय को किसी भावी निर्देश के लिए गणना में नहीं लिया जाएगा।

(ग) यदि प्रस्ताव में सौ एकड़ से अधिक वन भूमि अंतर्बलित है, पर्यावरण और वन मंत्रालय सभी प्रकार से पूर्ण प्रस्ताव की प्राप्ति के दस दिन के भीतर अपवर्जित किए जाने के लिए प्रस्तावित वनभूमि का निरीक्षण करने के लिए संबद्ध प्रादेशिक निदेशक से अनुरोध करेगा और पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर पर्यावरण और वन मंत्रालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

परंतु पर्यावरण और वन मंत्रालय से निरीक्षण स्थल के लिए प्रादेशिक कार्यालय को अनुरोध की संसूचना में लिया गया कुल समय और प्रादेशिक कार्यालय से पर्यावरण और वन मंत्रालय को स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की संसूचना में लिया गया कुल समय प्रादेशिक कार्यालय द्वारा स्थल निरीक्षण किए जाने में लिए गए समय से अधिक दस दिन से अधिक नहीं होगा।

(घ) केंद्रीय सरकार ऐसे प्रत्येक प्रस्ताव जो भली प्रकार से पूर्ण है जिसे स्थल निरीक्षण से रिपोर्टों सहित जहां अपेक्षित हो, नियम 6 के उपनियम (4) के खंड (ख) के अधीन इसके द्वारा प्राप्त किया गया था, इसकी सलाह के लिए समिति को निर्दिष्ट करेगी और समिति उक्त प्रस्ताव की प्राप्ति की तारीख के तीस दिन के भीतर अपनी सलाह देगी।

(ङ) समिति, खंड (घ) के अधीन इसे निर्दिष्ट प्रस्तावों पर अपनी सलाह देते समय निम्नलिखित सभी मामलों या किसी मामले को सम्यक रूप से ध्यान रखेगी —

(i) क्या गैर वन के प्रयोजन के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि प्राकृतिक रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य वन्य जीव रिजर्व का भाग बनाती है या वनस्पति और जीव जंतु की प्रजाति के लिए किसी खतरे या आशंका के प्राकृतिक वास का भाग बनाती है या पृथकतः क्षय आवाह में आने वाला क्षेत्र है।

(ii) क्या वन भूमि का उपयोग कृषि प्रयोजनों के लिए या किसी नदी घाटी या जल विद्युत परियोजना के कारण से अपने निवास से विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए है।

(iii) क्या यथास्थिति, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन ने प्रमाणित किया है कि इसने सभी अन्य विकल्पों पर विचार किया है और यह कि परिस्थितियों में कोई अन्य विकल्प संभाव्य नहीं है और यह कि अपेक्षित क्षेत्र, प्रयोजन के लिए न्यूनतम आवश्यकता है।

(iv) क्या यथास्थिति राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के किसी समतुल्य क्षेत्र और उसके पुर्नवीकरण की भूमि का अर्जन करने के लिए इसकी लागत पर उपबंध करने के लिए जिम्मा लिया है।

(v) क्या वन भूमि की प्रतियुक्ति अपेक्षा उसी प्रकार के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय औसत से महत्वपूर्ण रूप से अधिक है।

(vi) क्या यथास्थिति राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन ने अपनी सिफारिशें करने से पूर्व वन, वन्यजीव और वातावरण पर वनभूमि के अपवर्जन का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव रखते हुए सभी मुद्दों पर विचार किया है।

(च) सलाह देते समय, समिति किसी गैर वन प्रयोजन के लिए किसी वन भूमि के उपयोग पर किसी शर्त या निर्बंधन का भी सुझाव दे सकेगी जो इसकी राय में प्रतिकूल पर्यावरणीय समाघात को न्यून करेगा।

(छ) केंद्रीय सरकार खंड (ड) और खंड (च) के अधीन समिति की राय पर विचार करने के पश्चात् और ऐसी आगे जांच जिसे आवश्यक समझा जा सके, के पश्चात् अनुबद्ध शर्तों के पूरा होने के अध्वधीन सिद्धांततः अनुमोदन करेगी या समिति से सलाह की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर उसे अस्वीकृत करेगी और उसी की अगले पांच कार्य दिवस के भीतर यथास्थिति राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को संसूचित करेगी।

8. सिद्धांततः अनुमोदन और अंतिम अनुमोदन में अनुबद्ध शर्तों के अनुपालन पर रिपोर्ट की प्रस्तुति (1) (क) नोडल अधिकारी सिद्धांततः अनुमोदन की प्राप्ति के पांच दिन के भीतर उसी की एक प्रति संबद्ध प्रभागीय वन अधिकारी और वन संरक्षक को पृष्ठांकित करेगा।

(ख) सिद्धांततः अनुमोदन की प्राप्ति की प्रतियों पर प्रभागीय वन अधिकारी, सृजन की लागत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संदत्त किए जाने के लिए क्षतिपूर्क वनरोपण के बनाए रखने, शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन पी पी) जलग्रहण क्षेत्र बहिष्काव योजना के क्रियान्वयन की लागत या वन्यजीव संरक्षण योजना आदि में क्षतिपूर्क उद्ग्रहणों की मद्दवार रकम अंतर्विष्ट करते हुए मांग टिप्पण तैयार करेगा और उसे प्रयोक्ता अभिकरण को सिद्धांततः अनुमोदन में अनुबद्ध शर्तों के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित दस्तावेजों प्रमाणपत्रों की सूची और वचनबंधों के साथ सिद्धांततः अनुमोदन की प्रति प्राप्ति के दस दिन के भीतर प्रयोक्ता अभिकरण को संसूचित करेगी।

(ग) प्रयोक्ता अभिकरण, प्रभागीय वन अधिकारी से मांग टिप्पण और दस्तावेजों प्रमाणपत्रों और वचनबंधों की सूची की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर क्षतिपूर्ति उद्ग्रहणों का संदाय करेगा और उक्त सूची में उपदर्शित दस्तावेजों, प्रमाणपत्रों और वचनबंधों के साथ क्षतिपूर्ति उद्ग्रहणों के संदाय की बाबत दस्तावेजी साक्ष्य की एक प्रति अंतर्विष्ट करते हुए अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(घ) प्रभागीय वन अधिकारी अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् प्रयोक्ता अभिकरण से इसकी प्राप्ति के पंद्रह दिन के भीतर इसकी पूर्णता का अवधारण करेगा।

(ङ) यदि प्रभागीय वन अधिकारी यह पाता है कि अनुपालन रिपोर्ट अपूर्ण है तो वह प्रयोक्ता अभिकरण से इसकी प्राप्ति के पंद्रह दिन की अवधि के भीतर प्रयोक्ता अभिकरण को अनुपालन रिपोर्ट की कमी या कमियों को संसूचित करेगा और यदि अनुपालन रिपोर्ट सभी प्रकार से पूर्ण है तो उसे प्रयोक्ता अभिकरण से इसकी प्राप्ति के पंद्रह दिन के भीतर वन संरक्षक को अग्रेषित करेगा।

(च) वन संरक्षक, अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् प्रभागीय वन अधिकारी से इसकी प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर इसकी पूर्णता का अवधारण करेगा।

(छ) यदि वन संरक्षक यह पाता है कि अनुपालन रिपोर्ट अपूर्ण है तो वह प्रयोक्ता अभिकरण और प्रभागीय वन अधिकारी से इसकी प्राप्ति के पंद्रह दिन की अवधि के भीतर इसकी कमी या कमियों को संसूचित करेगा और यदि अनुपालन रिपोर्ट सभी प्रकार से पूर्ण है तो उसे प्रभागीय वन अधिकारी से इसकी प्राप्ति के पंद्रह दिन की अवधि के भीतर नोडल अधिकारी को अग्रेषित करेगा।

(ज) नोडल अधिकारी अनुपालन रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात् वन संरक्षक से इसकी प्राप्ति के पंद्रह दिन की अवधि के भीतर इसकी पूर्णता का अवधारण करेगा।

(झ) यदि नोडल अधिकारी यह पाता है कि अनुपालन रिपोर्ट अपूर्ण है तो वह वन संरक्षक से इसकी प्राप्ति के पंद्रह दिन के भीतर प्रयोक्ता अभिकरण वन संरक्षक और प्रभागीय वन अधिकारी को अनुपालन रिपोर्ट की कमी या कमियों के बारे में संसूचित करेगा और यदि अनुपालन रिपोर्ट सभी प्रकार से पूर्ण है तो इसे वन संरक्षक से इसकी प्राप्ति के पंद्रह दिन की अवधि के भीतर यथास्थिति राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को अग्रेषित करेगा।

(ञ) यथास्थिति राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् नोडल अधिकारी से इसकी प्राप्ति के पंद्रह दिन की अवधि के भीतर इसकी पूर्णता का अवधारण करेगा।

(ट) यदि यथास्थिति राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन यह पाता है कि अनुपालन रिपोर्ट अपूर्ण है तो वह नोडल अधिकारी से इसकी प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर प्रयोक्ता अभिकरण, नोडल अधिकारी, वन संरक्षक और प्रभागीय वन अधिकारी को इसकी अनुपालन रिपोर्ट में कमी या कमियों के बारे में संसूचित करेगा।

(ठ) यथास्थिति पर्यावरण और वन मंत्रालय या प्रादेशिक कार्यालय अनुपालन रिपोर्ट पालन करने के पश्चात् पंद्रह दिन की अवधि के भीतर उसकी पूर्णता का अवधारण करेगा।

(ड) यदि यथास्थिति पर्यावरण और वन मंत्रालय या प्रादेशिक कार्यालय यह पाता है कि अनुपालन रिपोर्ट सभी प्रकार से पूर्ण है तो यह अधिनियम के अधीन अंतिम अनुमोदन के अनुरूप होगी और उसी की अनुपालन रिपोर्ट, जो सभी प्रकार से पूर्ण है, प्राप्ति के बीस दिन की अवधि के भीतर यथास्थिति राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को संसूचित किया जाएगा।

(ड) अनुपालन रिपोर्ट में कमी या कमियों को पूरा किए जाने पर रिपोर्ट पर कार्यवाही की जाएगी और यथास्थिति राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन और केंद्रीय सरकार को ज़रूर खंड (घ) से खंड (ड) में अनुबद्ध शर्तों और समय सीमा में संबद्ध प्राधिकारियों को अग्रप्राप्ति की जाएगी।

(2) (क) उन मामलों में जहां यथास्थिति राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन से पांच वर्ष से अधिक के लिए सिद्धांतः अनुबंध में अनुबद्ध शर्तों का पालन प्रतीक्षित है वहाँ सिद्धांतः अनुमोदन संक्षेप में प्रतिसंगृहीत किया जाएगा।

(ख) यदि यथास्थिति प्रयोक्ता अभिकरण या राज्य सरकार या या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन अब भी परियोजना में हितबद्ध है तो प्रतिसंग्रहण के पश्चात् वे नए प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकेंगे जिस पर नए सिरे से विचार किया जाएगा।

(3) (क) यथास्थिति राज्य सरकार या या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा खनन परियोजना के लिए अधिनियम के अधीन किए गए सिद्धांतः अनुबद्ध अनुमोदन में शर्तों के अनुपालन पर रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने से पूर्व और सिद्धांतः अनुमोदन की मंजूरी की तारीख से पांच वर्ष के भीतर केंद्रीय सरकार द्वारा अंतिम अनुमोदन की मंजूरी ऐसी वन भूमि के अपवर्जन अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के नए सिरे से प्रस्तुति के बजाए खनन पट्टे की विधिमाम्यता समाप्त होती है तो यथास्थिति राज्य सरकार या या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन सिद्धांतः अनुमोदन में अनुबद्ध शर्तों के अनुपालन पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय खनन पट्टे की बीस वर्ष से अधिक मूल अवधि जिसके लिए सिद्धांतः अनुमोदन पहले किया गया है और यथास्थिति राज्य सरकार या या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा यथाविनिर्दिष्ट अवधि के लिए खनन पट्टे के नवीकरण के लिए भी ऐसी वन भूमि के अपवर्जन के लिए अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार अंतिम अनुमोदन मांग सकती है।

(ख) ऐसे प्रस्तावों को यथा लागू कानूनों परिपत्रों या निदेशों के अनुपालन पर रिपोर्ट जो सिद्धांतः अनुमोदन की मंजूरी के पश्चात् प्रवृत्त हुई थी, यदि कोई है, सिद्धांतः अनुमोदन में अनुबद्ध शर्तों के लिए अनुपालन रिपोर्ट के साथ केंद्रीय सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी।

(ग) खनन पट्टे की मूल अवधि के लिए ऐसी वन भूमि के अपवर्जन हेतु अधिनियम के अधीन अंतिम अनुमोदन की मंजूरी से अलग ऐसे मामलों में केंद्रीय सरकार यथास्थिति वन सलाहकार समिति, या राज्य सलाहकारी समूह की सलाह पर विचार करने के पश्चात् और आगे जांच जो वह ठीक समझे, के पश्चात् अवधि जो केंद्रीय सरकार द्वारा समुचित शर्तों या उनकी अस्वीकृति के साथ जो बीस वर्ष से अधिक नहीं होगी, के लिए खनन अधिकार के नवीकरण के लिए यथास्थिति, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के प्रस्ताव को आरंभिक अनुमोदन कर सकती है।

4. उक्त नियमों के परिशिष्ट में प्ररूप ख के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“प्ररूप ग”

वन भूमि में खनिजों के सर्वेक्षण के राज्य सरकारों और अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों को धारा 2 के अधीन पूर्व मंजूरी लेने वाला प्ररूप।

भाग 1

(प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भरा जाए)

1. परियोजना के ब्यौरे :

(i) प्रयोक्ता अभिकरण का नाम, पता और संपर्क ब्यौरे

(ii) प्रयोक्ता अभिकरण की विधिक प्राप्ति

(iii) आवेदन करने वाले व्यक्ति का नाम, पदनाम और पता

(iv) प्रयोक्ता अभिकरण के निमित्त आवेदन करने के लिए इस आवेदन को करने वाले व्यक्ति की सक्षमता या प्राधिकार के समर्थन में दस्तावेज (हैं/नहीं)

(v) खोजी जाने वाली खनिज वस्तु

(vi) दोनों वन और गैर वन क्षेत्र में किए जाने वाले प्रस्तावित क्रियाकलापों का संक्षिप्त ब्यौरा

(vii) प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में पूर्वक्षेत्र अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए संबद्ध यथास्थिति मंत्रालय या विभाग द्वारा दिए जाने वाले अनुमोदन के ब्यौरे

(viii) पूर्वक्षेत्र पट्टे में सम्मिलित सम्मिलित वन और गैर वन भूमि के ब्यौरे

(ix) पूर्वक्षेत्र के लिए अपेक्षित वन भूमि का कुल क्षेत्र :

(क) भूमि उपयोग-स्थायी परिवर्तन के अनुभव के लिए संभाव्य वन भूमि का क्षेत्र

(ख) वन भूमि में अस्थायी परिवर्तन के अनुभव के लिए संभाव्य वन भूमि का क्षेत्र

(x) कुल अवधि जिसके लिए वन भूमि पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोजित किए जाने के लिए प्रस्तावित है :

(xi) परियोजना की प्राक्कलित लागत :

(xii) ऐसी वन भूमि के उपयोग के लिए चालू प्रास्थिति के साथ राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में पूर्व में यदि कोई है अपयोजित वन भूमि का ब्यौरा :

(xiii) प्रत्येक मामले में पूर्वक्षेत्र की चालू प्रास्थिति के साथ वन भूमि में खनिजों के पूर्वक्षेत्र के लिए प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में पूर्व में दी गई अनुमति के ब्यौरे :

2. संलग्न मानचित्रों का ब्यौरा

(i) पूर्वक्षेत्र ब्लॉक की सीमा दर्शित करने वाले 1: 5000 स्केल के मूल में स्थल परत(तों) का भारतीय सर्वेक्षण ; पूर्वक्षेत्र ब्लॉक के भीतर अवस्थित वन भूमि के प्रत्येक टुकड़े की सीमा ; प्रत्येक नमूने प्लॉट की अवस्थितियाँ छेदन उपस्करों के परिवहन के लिए उपयोजित होने वाले वेध छिद्र स्थल सड़कों या पथमार्ग (साथ ही नए पथ के रास्ते को पृथक् रूप से दिखाया न जाए) लगने वाले वनों की सीमाएं और पूर्वक्षेत्र आदि में पहचान की गई वन भूमि की सीमा से (10 कि.मी०) की दूरी पर अवस्थित संरक्षित क्षेत्र

टिप्पण 1 यदि 1: 50000 स्केल में भारत के सर्वेक्षण स्थलपरत उपलब्ध नहीं हो तो विशेषतः अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के समीप अवस्थिति क्षेत्र के मामले और भारत स्थलपरत के सर्वेक्षण के स्थान पर अन्य रणनीतिक अवस्थितियाँ सार्वजनिक कार्य क्षेत्र में उपलब्ध अन्य मानचित्रों का भी उपयोग किया जाए।

टिप्पण 2 तकनीकी कारणों से पूर्वक्षेत्र क्रियाकलाप करते समय प्रयोक्ता अभिकरण 300 मीटर तक वेध-छिद्र नमूने प्लॉट खंड या पथ आदि की अवस्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं परंतु उपयोग किए जाने वाले प्रस्तावित वन भूमि के क्षेत्र या काटे जाने वाले प्रस्तावित वृक्षों की संख्या प्रस्ताव में वही दी गई संख्या से अधिक नहीं होगी।

3. (i) वन भूमि में पूर्वक्षेत्र के लिए न्यायोचितता :

(ii) जांच किए गए विकल्पों के ब्यौरे :

(iii) गैर आक्रामक पूर्वक्षेत्र क्रिया कलाप के ब्यौरे यदि कोई हो, विस्तारित प्रस्ताव में उपदर्शित वन भूमि में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया गया हो :

4. अनुसूचित क्षेत्रों में पूर्वक्षेत्र के लिए पहचान की गई वन भूमि अवस्थित है (हां/नहीं)

5. वन भूमि में किए जाने वाले प्रस्तावित क्रिया कलापों के ब्यौरे :

(i) सतह नमूने

(क) ग्राह प्रतिचयन

(ख) चिप प्रतिचयन

(ग) खांचा प्रतिचयन

(घ) चैनल प्रतिचयन

(ङ) प्रपुंज प्रतिचयन

(च) पंक्ति अंतरालन नमूने सहित भू रसायन ग्रिड प्रतिचयन

(ii) गड्ढा या खाई बनाना

- (क) गड्ढों या खाइयों की संख्या और व्यास
 (ख) उत्खनन की कुल मात्रा
 (ग) गड्ढों या खाइयों के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि का क्षेत्र

(iii) वेधन

- (क) वेध छिद्रों या कुओं की संख्या और व्यास
 (ख) वेध छिद्र या कुओं का अंतराल
 (ग) प्रत्येक वेधछिद्र या कुओं पर अस्थायी रूप से बाधित किए जाने वाले क्षेत्र
 (घ) प्रत्येक वेधछिद्र या कुओं पर स्थायी रूप से बाधित किए जाने वाले क्षेत्र, यदि कोई है (ज) वेध छिद्रों या कुओं का मापन
 (च) वेधन कोर नमूनों की संख्या
 (छ) वेधन कोर नमूनों की मात्रा

(iv) सड़कों या पथों का संनिर्माण

- (क) निर्माण किए जाने वाली सड़कों या पथों की लंबाई और चौड़ाई
 (ख) सड़कों या पथों के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र

(v) कोई अन्य क्रियाकलाप (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

6. निम्नलिखित के कारण भूमि उपयोग में अस्थायी परिवर्तन के अनुभव के लिए संभाव्य वन भूमि का क्षेत्र

- (i) सतह प्रतिचयन :
 (ii) गड्ढा या खाई बनाना :
 (iii) वेधन :
 (iv) सड़कों या पथों का संनिर्माण :
 (v) कोई अन्य क्रियाकलाप (कृपया विनिर्दिष्ट करें) :

कुल :

7. निम्नलिखित के लिए भूमि उपयोग में स्थायी परिवर्तन के अनुभव के लिए संभाव्य वन क्षेत्र

- (i) सतह प्रतिचयन :
 (ii) गड्ढा या खाई बनाना :
 (iii) वेधन :
 (iv) सड़कों या पथों का संनिर्माण :
 (v) कोई अन्य क्रियाकलाप (कृपया विनिर्दिष्ट करें) :

कुल :

8. पूर्वक्षेपण के लिए विनियोजित होने के लिए मशीनरी या उपकरणों के ब्यौरे—

क्रम सं०	उपस्कर या मशीनरी का नाम	कर्षण का ढंग	आकार (एल X बी X एच)	प्राक्कलित विनियोजन (मशीनी घंटे)	अधिकतम शोर स्तर (डेसिबल)

9. वन भूमि में उपस्कर या मशीनों के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने हेतु प्रस्तावित विद्यमान पथों या सड़कों का ब्यौरा ।

10. पूर्वक्षेपण के लिए विनियोजित होने के लिए प्रस्तावित व्यक्तियों की वन भूमि में रुकने की लगभग संख्या और लगभग अवधि ।

11. पूर्वक्षण के दौरान संगृहीत किए जाने के लिए प्रस्तावित अयस्क और अन्य नमूनों की प्राक्कलित मात्रा का सारांश (जलीय कार्बन सेक्टर के लिए लागू नहीं)

क्रम सं०	नमूनों के ब्यौरे	संगृहीत किए जाने के लिए प्रस्तावित मात्रा (मीट्रिक टन)

12. खनिज आरक्षण निर्धारण के लिए प्राक्कलित शुद्धता और आश्वस्त स्तर :

13. यदि वेध किए जाने के लिए प्रस्तावित वेधन छिद्रों की संख्या निम्नलिखित के द्वारा कम की जाती है तो प्राक्कलित शुद्धता और आश्वस्त स्तर :

		शुद्धता	आश्वस्त स्तर (%)
(i)	(10 %)		
(ii)	(20 %)		
(iii)	(30 %)		
(iv)	(40 %)		
(v)	(50 %)		

14. यदि पूर्वक्षण या अतिरिक्त वेध छिद्रों के वेधन के लिए मंजूर की गई अनुज्ञा की अवधि के विस्तार हेतु प्रस्ताव है, कृपया निम्नलिखित अतिरिक्त जानकारी दें :-

(i) पूर्व में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधीन दिए गए अनुमोदन के ब्यौरे

क्रम सं०	दिए गए अनुमोदन की संख्या और तारीख	पूर्वक्षण (एच ए) के लिए अनुज्ञात वन भूमि का क्षेत्र	अनुमोदन की विधिमान्य अवधि	
			से	तक

(ii) पूर्व में दिए गए अनुमोदन में अनुबद्ध शर्तों के अनुपालन की प्राप्ति पर रिपोर्ट संलग्न है (हाँ/नहीं)

(iii) उल्लंघन (नो), यदि कोई, किया है, के ब्यौरे।

(iv) पूर्वक्षण के लिए दी गई अनुज्ञा के विस्तार के लिए न्यायोचितता।

(v) अभी तक किए गए पूर्वक्षण क्रियाकलापों और संगृहीत नमूनों के ब्यौरे

15. संलग्न दस्तावेजों के ब्यौरे --

तारीख :

स्थान :

हस्ताक्षर

(स्पष्ट अक्षरों में नाम)

पदनाम

पता (प्रयोक्ता अभिकरण का)

प्रस्ताव की राज्य क्रमांक सं०.....

(प्राप्ति की तारीख सहित नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाए)

भाग - 2

(संबद्ध उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाए)

16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति

(i) राज्य/संघराज्यक्षेत्र

(ii) जिला

(iii) जिला वन प्रभाग

(iv) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र

17. पूर्वक्षेत्र के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति :

18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा :

(i) वन का प्रकार

(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण घनत्व

(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिनाए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना

(iv) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा

19. भूक्षरण के लिए पूर्वक्षेत्र हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पण

20. वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी :

21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षेत्र में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता :

(i) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा :

(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्य जीव उत्प्लावन गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियां उपाबद्ध की जाएं)

(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित हैं। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियां उपाबद्ध की जाएं)

(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्लावन आदि पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियां उपाबद्ध की जाएं)

(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरों में अलग किसिम के खतरों की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे

22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिस्मात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें)

23. पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें :

(i) क्या भाग - 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोज्य अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है।

(ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग किया जा सकता है।

24. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे

(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/नहीं)

(ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्बलित वनभूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यो) का नाम, पते और पदनाम, सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति(यो) के विरुद्ध की गई कार्यवाही

(iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं)

25. क्षतिपूर्क वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :

(i) क्षतिपूर्क वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वनभूमि की विधिक प्रास्थिति

(ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पाटमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्योरे दें

(iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1 : 50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न हैं

(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यान्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्योरे संलग्न हैं(हाँ/नहीं)

(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिचय ;

(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचान किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाणपत्र संलग्न हैं (हाँ/नहीं)

26. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाघात से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न हैं (हाँ/नहीं)

27. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशें

स्थान :

तारीख :

हस्ताक्षर

नाम

शासकीय मुद्रा

भाग 3

(संबद्ध वन संरक्षक द्वारा भरा जाए)

28. क्या स्थल, जहां अंतर्फलित वन भूमि अवस्थित है उसका वन संरक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया है (हाँ/नहीं)। यदि हां, तो निरीक्षण टिप्पण के रूप में किए गए निरीक्षण और संप्रेषण की तारीख संलग्न की जाए।

29. क्या वन संरक्षक भाग 2 में दी गई जानकारी और उप वनसंरक्षक की सिफारिशों से सहमत हैं।

30. विस्तृत कारणों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशें

स्थान :

तारीख :

हस्ताक्षर

नाम

शासकीय मुद्रा

भाग 4

(नोडल अधिकारी या प्रधान मुख्य वन संरक्षक या वन विभाग के प्रमुख द्वारा भरा जाए)

31. टिप्पणियों सहित प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए व्यापक राय और विनिर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय वन संरक्षक या उप वन संरक्षक द्वारा की गई प्रतिकूल टीका टिप्पणियों को प्रवर्गात्मक रूप में पुनर्विलोकित और उस पर आलोचनात्मक टिप्पणियां दी जानी चाहिए।)

स्थान :

तारीख :

हस्ताक्षर

नाम

शासकीय मुद्रा

भाग 5

(वन विभाग के भारसाधक सचिव या राज्य सरकार द्वारा कोई अन्य अधिकारी जो अवर सचिव से पंक्ति की नीचे का न हो, भरा जाए)

32. राज्य सरकार की सिफारिशें

(उपरोक्त भाग 2 या भाग 3 या भाग 4 में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियाँ)

स्थान :

तारीख :

हस्ताक्षर

नाम

शासकीय मुद्रा....."

[फा. सं. 11-43/2013-एफ.सी.]

एम. एस. नेगी, वन महानिरीक्षक (वन संरक्षण)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में संख्यांक सा.का.नि. 23(अ) तारीख 10 जनवरी, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए और तत्पश्चात् सा.का.नि.94(अ) तारीख 3 फरवरी, 2004 और सा.का.नि.107(अ) तारीख 9 फरवरी, 2004 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

(Forest Conservation Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th March, 2014

G.S.R. 185(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Forest (Conservation) Rules, 2003, namely:—

1. (1) These rules may be called the Forest (Conservation) Amendment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Forest (Conservation) Rules, 2003 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2,

(i) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:—

"(ba) 'Conservator of Forests' means an officer appointed by the State Government or the Union Territory Administration, as the case may be, under the designation of Conservator of Forests or the Chief Conservator of Forests or the Regional Chief Conservator of Forests or any such similar designation, to hold charge of a Forest Circle having jurisdiction over the forest land for which the approval of the Central Government under the Act is required;"

(ii) after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:—

"(ca) 'Divisional Forest Officer' means an officer appointed by the State Government or the Union territory Administration, as the case may be, under the designation of the Divisional Forest Officer or the Deputy Conservator of Forests or any such similar designation, to hold charge of a Forest Division having jurisdiction over the forest land for which the approval of the Central Government under the Act is required;"

3. In the said rules, for rule 6 and 7, the following rules shall be substituted, namely:—

"6. Submission of proposal seeking approval of the Central Government under section 2 of the Act.—

(1) Every User Agency that wants to use any forest land for non-forest purposes, shall make its proposal in the relevant Form appended to these rules, namely; Form 'A' for proposal seeking first time approval under the Act, Form 'B' for proposal seeking renewal of leases, where approval of the Central Government under the Act had already been obtained; and Form 'C' for prospecting of minerals, to the

Nodal Officer of the concerned State Government or the Union territory Administration, as the case may be, along with requisite information and documents, complete in all respect.

(2) The User Agency shall endorse a copy of the proposal, along with a copy of the receipt obtained from the office of the Nodal Officer to the concerned Divisional Forest Officer, District Collector and Regional Office as well as the Monitoring Cell of the Forest Conservation Division of the Ministry of Environment and Forests.

(3) (a) The Nodal Officer of the State Government or the Union territory Administration, as the case may be, after having received the proposal under sub-rule (1) and on being satisfied that the proposal is complete in all respects and requires prior approval under section 2 of the Act, shall send the proposal to the concerned Divisional Forest Officer and the District Collector within a period of ten days of the receipt of the proposal.

(b) If the Nodal Officer of the State Government or the Union territory Administration, as the case may be, finds that the proposal is incomplete, he shall return it within a period of ten days to the User Agency and this time period and the time taken by the User Agency to re-submit the proposal shall not be counted for any future reference.

(c) The Divisional Forest Officer shall examine the factual details and feasibility of the proposal, certify the maps, carry out site-inspection and enumeration of the trees and forward his findings in the Format specified in this regard to the Conservator of Forests.

(d) The Divisional Forest Officer shall process and forward the application along with his findings on the proposal involving forest land up to forty hectares, above forty hectares and up to one hundred hectares and above one hundred hectares to the Conservator of Forests within a period of thirty days, forty five days and sixty days respectively.

(e) The District Collector shall complete the process for settlement of rights in accordance with the provisions of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007) (hereinafter referred to as the FRA), obtain consent of the Gram Sabha or Gram Sabhas, wherever required, and forward his findings in the Format specified in this regard to the Conservator of Forests.

(f) The District Collector shall forward the proposal along with his findings on settlement of rights under FRA and consent of the Gram Sabha or Gram Sabhas, wherever required, in respect of the proposal involving forest land up to forty hectares, above forty hectares and up to one hundred hectares and above one hundred hectares to the Conservator of Forests within a period of thirty days, forty five days and sixty days respectively.

(g) The Conservator of Forests shall examine the factual details and feasibility of the proposal, carry out site-inspection in case the area of forest land proposed to be diverted is more than forty hectares, and forward the proposal along with his recommendations and the report on settlement of rights under the FRA and consent of the concerned Gram Sabha or Gram Sabhas, wherever required, received from the District Collector to the Nodal Officer.

(h) The time taken by the Conservator of Forests to process and forward to the Nodal Officer the proposal involving forest land up to forty hectares and above forty hectares shall not be more than ten days and thirty days respectively.

(i) The Nodal Officer, through the Principal Chief Conservator of Forest, shall forward the proposal to the State Government or the Union territory Administration, as the case may be, along with his recommendations.

(j) The Nodal Officer shall process and forward the proposal along with his findings on the proposal involving forest land up to five hectares, above five hectares and up to forty hectares, above forty hectares up to one hundred hectares and above one hundred hectares, to the State Government or the Union territory Administration, as the case may be, within a period of ten days, twenty days, twenty five days and thirty days respectively.

(k) In case the State Government or the Union territory Administration, as the case may be, decides not to, de-reserve or divert for non-forest purpose or assign on lease the forest land indicated in the proposal, as the case may be, the same shall be intimated to the User Agency within thirty days of the receipt of proposal from the Nodal Officer:

Provided, all proposals involving diversion of forest land for projects of the Central Government or Central Government Undertakings where the State Government or the Union territory Administration, as the case may be, does not agree in-principle to de-reserve or divert for non-forest purpose or assign on lease the forest land indicated in the proposal, as the case may be, shall be forwarded to the Central Government along with comments of the State Government or the Union territory Administration, as the case may be.

(l) The State Government or the Union territory Administration, as the case may be, shall forward along with its recommendations all those proposals where State Government or the Union territory Administration, as the case may be, agrees in-principle to de-reserve or divert for non-forest purpose or assign on lease the forest land indicated in the proposal, as the case may be, and all proposals involving diversion of forest land for projects of the Central Government or Central Government Undertakings, to the Central Government within thirty days:

Provided that the all proposals involving felling of trees on forest land or a portion thereof for the purpose of using it for reafforestation shall be sent in the form of Working Plan or Working Scheme or Management Plan:

Provided further that the concerned State Government or the Union territory Administration, as the case may be, shall simultaneously send the intimation to the User Agency about forwarding of the proposal, along with its recommendations, to the Regional Office or the Ministry of Environment and Forests, as the case may be:

Provided also that total time taken exclusively for transit of a proposal between various authorities in the State Government or the Union territory Administration, as the case may be, shall not be more than twenty days, over and above the time period specified for processing of proposal by each authority:

(m) Whenever the time taken by the State Government or the Union territory Administration, as the case may be, for processing the proposal exceeds the time limits stipulated in clauses (a) to (l) above, the proposal shall be considered by the Central Government only if an explanation for the delay is furnished to the satisfaction of the Central Government, together with action taken against any individual held to be responsible for the delay.

(4) (a) The proposal referred to in clause (l) of sub-rule (3), involving forest land up to forty hectares shall be forwarded by the concerned State Government or the Union territory Administration, as the case may be, along with its recommendations, to the concerned Regional Office.

(b) The proposal referred to in clause (l) of sub-rule (3), involving forest land of more than forty hectares shall be forwarded by the concerned State Government or the Union territory Administration, as the case may be, along with its recommendations, to the Secretary, Ministry of Environment and Forests, Government of India.

(c) The proposals referred to in clause (l) of sub-rule (3), involving clearing of trees in forest land or portion thereof for the purpose of using it for re-afforestation shall be sent to the concerned Regional Office.

7. Processing of proposals received by the Central Government. — (1) (a) The Regional Office, after having received the proposal referred in clause (a) and clause (c) of sub-rule (4) of rule 6 shall determine the completeness of proposal within five working days.

(b) If the Regional Office finds that the proposal is incomplete, it shall return it within the period of five working days as specified under clause (a), to the State Government or the Union territory Administration, as the case may be, and this time period and the time taken by the State Government to re-submit the proposal shall not be counted for any future reference.

(2) (a) The Regional Office shall after examination of the proposal involving forest land up to five hectares other than the proposal relating to mining and encroachments, which are complete in all respects, and after such further enquiry as it may consider necessary, grant in-principle approval subject to fulfillment of stipulated conditions, or reject the same within twenty five days of its receipt from the State Government or the Union territory Administration, as the case may be, and communicate the same to the concerned State Government or the Union territory Administration, as the case may be, within next five days.

(b) The proposals involving forest land above five hectares and up to forty hectares and all proposals for regularisation of encroachments and mining up to forty hectares, which are complete in all respects, shall be examined by the Regional Office in consultation with an Advisory Group consisting of representatives of the State Government or the Union territory Administration, as the case may be, from Revenue Department, Forest Department, Planning Department or Finance Department and the concerned Department whose proposal is being examined.

(c) The Regional Office shall within a period of thirty five days of the receipt of the proposal from the State Government or the Union territory Administration, as the case may be, shall forward such proposal along with views of the Advisory Group to the Secretary, Ministry of Environment and Forests for obtaining the decision of the Central Government:

Provided that time taken in transit of a proposal from Regional Office to the Ministry of Environment and Forests shall not be more than five days.

(d) The Central Government shall, after considering the views of the Advisory Group and after further enquiry as it may consider necessary, grant in-principle approval subject to fulfillment of stipulated conditions, or reject the same within thirty days of its receipt from the Regional Office and communicate the same to the concerned State Government or the Union territory Administration, as the case may be, within next five working days.

(3) (a) All proposals involving clearing of trees in forest land or portion thereof for the purpose of using it for re-afforestation shall be finally disposed of by the Regional Office within a period of sixty days of receipt of the proposals from the State Government or the Union territory Administration, as the case may be.

(b) While examining the proposal, the Regional Office shall ensure that the final decision is in conformity with the National Forest Policy, Working Plan guidelines and other relevant rules and guidelines issued by the Central Government from time to time.

(c) The Regional Office shall however seek prior clearance of the Ministry of Environment and Forests whenever the proposal involves clear-felling of forest land having crown density above forty per cent irrespective of the area involved, or clear-felling of forest area of size more than twenty hectares in the plains and ten hectares in the hilly region, irrespective of density.

(4) (a) The Ministry of Environment and Forests, after having received the proposal referred to in clause (b) of sub-rule (4) of rule 6 shall determine the completeness of the proposal within ten days.

(b) If the Ministry of Environment and Forests finds that the proposal is incomplete, it shall return it within the period of ten days as specified under clause (a), to the State Government or the Union territory Administration, as the case may be, and this time period and the time taken by the State Government to re-submit the proposal shall not be counted for any future reference.

(c) In case the proposal involves forest land more than one hundred hectares, Ministry of Environment and Forest shall within ten days of the receipt of a proposal complete in all respects, request the concerned Regional Office to inspect the forest land proposed to be diverted and submit a report to the Ministry of Environment and Forest within a period of forty five days:

Provided that the total time taken in communication of the request for site inspection from the Ministry of Environment and Forests to Regional Office and communication of the site inspection report from the Regional Office to the Ministry of Environment and Forests shall not be more than ten days, over and above the time taken in undertaking site inspection by the Regional Office.

(d) The Central Government shall refer every proposal, which is complete in all respects, received by it under clause (b) of sub-rule (4) of rule 6 including site inspection reports, wherever required, to the Committee

for its advice and the Committee shall give its advice within thirty days from the date of receipt of the said proposal.

(e) The Committee shall have due regard to all or any of the following matters while tendering its advice on the proposals referred to it under clause (d), namely:-

- (i) whether the forest land proposed to be used for non-forest purpose forms part of a nature reserve, national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve or forms part of the habitat of any endangered or threatened species of flora and fauna or of an area lying severely eroded catchment;
- (ii) whether the use of any forest land is for agricultural purposes or for the rehabilitation of persons displaced from their residences by reason of any river valley or hydro-electric project;
- (iii) whether the State Government or the Union territory Administration, as the case may be, has certified that it has considered all other alternatives and that no other alternatives in the circumstances are feasible and that the required area is the minimum needed for the purpose;
- (iv) whether the State Government or the Union territory Administration, as the case may be, undertakes to provide at its cost for the acquisition of land of an equivalent area and afforestation thereof;
- (v) whether the per unit requirement of forest land is significantly higher than the national average for similar projects; and
- (vi) whether the State Government or the Union territory Administration, as the case may be, before making their recommendation has considered all issues having direct and indirect impact of the diversion of forest land on forest, wildlife and environment.

(f) While tendering advice, the Committee may also suggest any condition or restriction on the use of any forest land for any non-forest purpose, which in its opinion would minimise adverse environmental impact.

(g) The Central Government shall, after considering the advice of the Committee under clause (e) and clause (f) and after such further enquiry as it may consider necessary, grant in-principle approval subject to fulfillment of stipulated conditions, or reject the same within thirty days of the receipt of advice from the Committee and communicate the same to the concerned State Government or the Union territory Administration, as the case may be, within next five working days.

8. Submission of report on compliance to conditions stipulated in the in-principle approval and grant of final approval. (1) (a) The Nodal Officer shall within five days of receipt of the in-principle approval, endorse a copy of the same to the concerned Divisional Forest Officer and the Conservator of Forests;

(b) On receipt of a copy of the in-principle approval, the Divisional Forest Officer shall prepare a demand note containing item-wise amount of compensatory levies such as cost of creation and maintenance of compensatory afforestation, Net Present Value (NPV), cost of implementation of catchment area treatment plan or wildlife conservation plan *etc.* to be paid by the User Agency and communicate the same, along with a list of documents, certificates and undertakings required to be submitted by the User Agency in compliance with the conditions stipulated in the in-principle approval to the User Agency within ten days of the receipt of a copy of the in-principle approval.

(c) The User Agency shall within thirty days of receipt of demand note and list of documents, certificates and undertakings from the Divisional Forest Officer make payment of compensatory levies and submit a compliance report containing a copy of documentary evidence in respect of the payment of compensatory levies along with documents, certificates and undertakings indicated in the said list to Divisional Forest Officer.

(d) The Divisional Forest Officer, after having received the compliance report shall determine its completeness within a period of fifteen days of its receipt from the User Agency.

(e) If the Divisional Forest Officer finds that the compliance report is incomplete, he shall communicate the shortcoming or shortcomings in the compliance report to the User Agency within a period of fifteen days of its receipt from the User Agency and if the compliance report is complete in all respect, it shall be

forwarded to the Conservator of Forests within a period of fifteen days of its receipt from the User Agency.

(f) The Conservator of Forests, after having received the compliance report shall determine its completeness within a period of fifteen days of its receipt from the Divisional Forest Officer.

(g) If the Conservator of Forests finds that the compliance report is incomplete, he shall communicate the shortcoming or shortcomings in the compliance report to the User Agency and the Divisional Forest Officer within a period of fifteen days of its receipt from the Divisional Forest Officer and if the compliance report is complete in all respects, it shall be forwarded to the Nodal Officer within a period of fifteen days of its receipt from the Divisional Forest Officer.

(h) The Nodal Officer, after having received the compliance report shall determine its completeness within a period of fifteen days of its receipt from the Conservator of Forests.

(i) If the Nodal Officer finds that the compliance report is incomplete, he shall communicate the shortcoming or shortcomings in the compliance report to the User Agency, the Conservator of Forests and the Divisional Forest Officer within a period of fifteen days of its receipt from the Conservator of Forests and if the compliance report is complete in all respects, it shall be forwarded to the State Government or Union territory Administration, as the case may be, within a period of fifteen days of its receipt from the Conservator of Forests.

(j) The State Government or Union territory Administration, as the case may be, after having received the compliance report shall determine its completeness within a period of fifteen days of its receipt from the Nodal Officer.

(k) If the State Government or Union territory Administration, as the case may be, finds that the compliance report is incomplete, it shall communicate the shortcoming or shortcomings in the compliance report to the User Agency, the Nodal Officer, the Conservator of Forests and the Divisional Forest Officer within a period of fifteen days of its receipt from the Nodal Officer and if the compliance report is complete in all respects, it shall be forwarded to the Ministry of Environment and Forests or the Regional Office, as the case may be, within a period of fifteen days of its receipt from the Nodal Officer.

(l) The Ministry of Environment and Forests or the Regional Office, as the case may be, after having received the compliance report shall determine its completeness within a period of fifteen days.

(m) If the Ministry of Environment and Forests or the Regional Office, as the case may be, finds that the compliance report is complete in all respect, it shall accord the final approval under the Act and communicate the same to the State Government or the Union territory Administration, as the case may be, within a period of twenty days of the receipt of a compliance report which is complete in all respect.

(n) The report on fulfillment of shortcoming or shortcomings in the compliance report shall be processed and forwarded to authorities concerned in the State Government or the Union territory administration, as the case may be, and Central Government in the manner and within the time limits stipulated in clause (d) to clause (l) above.

(2) (a) In cases where compliance of conditions stipulated in the in-principle approval is awaited for more than five years from the State Government or the Union territory Administration, as the case may be, the in-principle approvals shall be summarily revoked.

(b) If the User Agency or the State Government or the Union territory Administration, as the case may be, is still interested in the project, after its revocation, they may submit a fresh proposal which shall be considered de-novo.

3 (a) In case, before submission of a report on compliance to conditions stipulated in the in-principle approval accorded under the Act for a mining project by the State Government or the Union territory Administration, as the case may be, and grant of final approval by the Central Government within five years from the date of grant of in-principle approval, validity of the mining lease expires, instead of submission of a de-novo proposal to obtain approval of Central Government under the Act for diversion of such forest land, for renewal of mining lease, the State Government or Union territory Administration, as the case may be, while submitting report on compliance to conditions stipulated in the in-principle approval may seek final approval of Central Government under the Act for diversion of such forest land

for original period of the mining lease for which in-principle approval has already been accorded, and also for renewal of mining lease for a period, as specified by the State Government and Union Territory Administration, as the case may be, not exceeding twenty years.

(b) Report on compliance to statutes, circulars or directives, as applicable to such proposals, which came into force after grant of in-principle approval, if any, shall also be submitted to the Central Government along with the report on compliance to conditions stipulated in the in-principle approval.

(c) In such cases, apart from grant of final approval under the Act for diversion of such forest land for original period of mining lease, the Central Government, shall, after considering advice of the Forest Advisory Committee or the State Advisory Group, as the case may be, and after further enquiry as it may consider necessary, grant final approval to the proposal of the State Government of Union Territory Administration, as the case may be, for renewal of mining lease for a period, as may be specified by the Central Government, not exceeding twenty years, with appropriate conditions or reject the same."

4. In the said rules, in the Appendix, after Form-B, the following Form shall be inserted, namely:-

'FORM-C'

Form for seeking prior approval under section 2 of the proposals by the State Governments and other authorities for prospecting of minerals in forest land

PART - I

(to be filled up by User Agency)

1. Project detail:

- (i) Name, address and contact details of the User Agency:
- (ii) Legal status of the User Agency:
- (iii) Name, designation and full address of the person making application:
- (iv) Documents in support of the competence or authority of the person making this application to make application on behalf of the User Agency enclosed: (Yes/No)
- (v) Mineral commodity to be explored:
- (vi) Short narrative of the activities proposed to be undertaken in both forest and non-forestland:
- (vii) Details of approvals accorded by the concerned Ministry or Department in the State or Central Government, as the case may be, for grant of prospecting license in favour of the User Agency:
- (viii) Details of forest and non-forest land included in the prospecting lease:
- (ix) Total area of forest land required for prospecting:
 - (a) Area of forest land likely to experience permanent change in land use
 - (b) Area of forest land likely to experience temporary change in land use
- (x) Total period for which the forest land is proposed to be utilised for prospecting:
- (xi) Estimated cost of the project:
- (xii) Details of forest land diverted earlier, if any, in favour of the User Agency in the State or Union territory along with current status of the use of such forest land:
- (xiii) Details of permission accorded earlier, if any, in favour of the User Agency for prospecting of minerals in forest land along with current status of prospecting in each case:

2. Details of Maps enclosed

- (i) Survey of India topo-sheet(s), in original in 1:50,000 scale showing boundary of prospecting block; boundary of each patch of forest land located within the prospecting block; location of each sample plot or borehole site, roads or pathway (existing as well as new pathway to be shown separately) to be used for transportation of drilling equipments; boundary of the adjoining forests and protected areas located within ten (10) Kilometers distance from boundary of forest land identified for prospecting etc.: (Yes/No).

Note 1: In case Survey of India Toposheet in 1: 50,000 scale is not available, especially in case of the areas located near International Borders and other strategic locations, in place of Survey of India Toposheet other maps available in public domain may also be used.

Note 2: Due to technical reasons, while undertaking the prospecting activities, the user agency may vary location of boreholes, sample plots, roads or paths *etc.* up to 300 meters, provided area of forest land proposed to be utilised and number of trees proposed to be cut does not exceed the same given in the proposal.

3. (i) Justification for prospecting in forest land:

(ii) Details of alternatives examined;

(iii) Detail of non-invasive prospecting activities, if any, undertaken by the user agency in the forest land indicated in the extant proposal:

4. Whether the forest land identified for prospecting is located in scheduled areas (Yes/No);

5. Details of activities proposed to be undertaken in forest land;

(i) Surface sampling

(a) Grab sampling

(b) Chip sampling

(c) Groove sampling

(d) Channel sampling

(e) Bulk sampling

(f) Geochemical grid sampling with sample line spacing

(ii) Pitting or trenching

(a) Number and dimension of pits or trenches

(b) Total volume of excavation

(c) Area of forest land to be utilised for pits or trenches

(iii) Drilling

(a) Number and diameter of boreholes or wells

(b) Spacing of boreholes or wells

(c) Area to be temporarily disturbed at each bore hole or well

(d) Area, if any, to be permanently disturbed at each bore hole or well

(e) Total meterage of boreholes or wells

(f) Number of drill core samples

(g) Volume of drill core samples

(iv) Construction of roads or paths

(a) Length and width of roads or paths proposed to be constructed;

(b) Area of forest land proposed to be utilised for roads or paths;

(v) Any other activity (*pl. specify*)

6. Area of forest land likely to experience temporary change in land use due to:

(i) Surface sampling;

- (ii) Pitting or trenching;
- (iii) Drilling;
- (iv) Construction of roads or paths;
- (v) Any other activity (*pl. specify.*);

Total:

7. Area of forest land likely to experience permanent change in land use due to:

- (i) Surface sampling;
- (ii) Pitting or trenching;
- (iii) Drilling;
- (iv) Construction of roads/paths;
- (v) Any other activity (*pl. specify.*);

Total:

8. Details of machinery or equipments to be deployed for prospecting :

Sl. No.	Name of equipment or machinery	Mode of traction	Size (L x B x H)	Estimated deployment (machine hours)	Maximum noise level (decibel)

9. Details of existing paths or roads proposed to be utilised for transport of the equipment or machines in the forest land;

10. Approximate number and approximate duration of stay in the forest land of the persons proposed to be deployed for prospecting;

11. Summary of the estimated quantity of ore and other samples proposed to be collected during the prospecting (not applicable for hydrocarbon sector):

Sl. No.	Details of samples	Qty. proposed to be collected (Metric Tonne)

12. Estimated accuracy and confidence level for mineral reserve assessment;

13. Estimated accuracy and confidence level in case number of bore holes proposed to be drilled are reduced by:

	Accuracy (%)	Confidence level (%)
(i) 10 %:		
(ii) 20 %:		
(iii) 30 %:		
(iv) 40 %:		
(v) 50 %:		

14. In case the proposal is for extension of the period of the permission granted for prospecting, or for drilling of additional bore holes, please provide following additional information:

(i) Details of approval accorded under the Forest (Conservation) Act, 1980 in the past:

Sl. No.	Number and date of the approval accorded	Area of forest land permitted for prospecting (ha)	Validity period of approval	
			From	To

(ii) Report on status of compliance to the conditions stipulated in the approval accorded in the past enclosed (Yes/No)

(iii) Details of violation(s), if any committed.

(iv) Justification for extension of permission accorded for prospecting.

(v) Details of prospecting activities undertaken and sample collected, so far.

15. Details of documents enclosed:

Date:

Place:

Signature.....

(Name in Block letter)

Designation

Address (of User Agency)

State serial No. of proposal

(To be filled up by the Nodal Officer with date of receipt)

PART - II

(To be filled by the concerned Deputy Conservator of Forests)

Division serial No. of proposal

16. Location of the project or scheme:

(i) State/Union Territory

(ii) District

(iii) Forest Division

(iv) Area of forest land proposed to be utilised for prospecting.

17. Legal status of forest land identified for prospecting.

18. Details of vegetation available in the forest land proposed for diversion:

(i) Forest type;

(ii) Average crown density of vegetation;

(iii) Species-wise local or scientific names and girth-wise enumeration of trees required to be felled;

(iv) Working plan prescription for the forest land proposed to be utilised for prospecting.

19. Brief note on topography and vulnerability of the forest land proposed to be utilised for prospecting to erosion.

20. Approximate distance of the forest land proposed to be utilised for prospecting from boundary of the forest land.

21. Significance of the forest land proposed to be utilised for prospecting from wildlife point of view:

- (i) Details of wildlife present in and around the forest land proposed to be utilised for prospecting;
- (ii) Whether forms part of national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc., (If so, the details of the area and comments of the Chief Wildlife Warden to be annexed);
- (iii) Whether any national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc., is located within ten kilometers from boundary of the forest land proposed to be utilised for prospecting (If so, the details of the area and comments of the Chief Wildlife Warden to be annexed);
- (iv) Whether any national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc., is located within one kilometer from boundary of the forest land proposed to be utilised for prospecting (If so, the details of the area and comments of the Chief Wildlife Warden to be annexed);
- (v) Whether any rare or endangered or unique species of flora and fauna found in the area - if so details thereof.

22. Whether any protected archaeological or heritage site or defense establishment or any other important monument is located in the area - (If so, details thereof with no-objection certificate (NoC) from competent authority to be annexed).

23. Comment as to the reasonability of the extent of the forest land proposed to be utilised for prospecting:

- (i) Whether the requirement of forestland as proposed by the User Agency in para 6 and para-7 of the Part - I is unavoidable and bare minimum for the project.
- (ii) If no, recommended area of forest land which may be used for prospecting.

24. Details of violation committed:

- (i) Whether any work in violation of the Act or guidelines issued under the Act has been carried out (Yes/No).
- (ii) If yes, details of the violation including period of work done, area of forest land involved in violation, name, address and designation of the person(s) responsible for violation and action taken against the person(s) responsible for violation;
- (iii) Whether work in violation is still in progress (Yes/No):

25. Details of compensatory afforestation scheme:

- (i) Legal status of the land identified to raise compensatory afforestation;
- (ii) Details such as location, Survey or Compartment or Khasra number, area and distance from adjoining forest of each plot of non-forest area or degraded forest land identified for compensatory afforestation;
- (iii) Survey of India Toposheet (s), in original in 1:50,000 scale showing non-forest or degraded forest land identified for compensatory afforestation and adjoining forest boundaries enclosed? (Yes/No);
- (iv) Detailed compensatory afforestation scheme including species to be planted, implementing agency, time schedule, cost structure, etc. enclosed (Yes/No);
- (v) Total financial outlay for compensatory afforestation scheme;
- (vi) Certificates from the concerned Deputy Conservator of Forests regarding suitability of area identified for compensatory afforestation and from management point of view enclosed? (Yes/No);

26. Site inspection report of the Deputy Conservator of Forests highlighting important facts pertaining to the impact of proposed activities on flora and fauna enclosed (yes/No);

27. Specific recommendations of the Deputy Conservator of Forests for acceptance or otherwise of the proposal with reasons.

Date:

Place:

Signature-----

Name-----

Official Seal-----

PART - III

(To be filled by the concerned Conservator of Forests)

28. Whether site, where the forest land involved is located has been inspected by the Conservator of Forests (Yes/No). If yes the date of inspection and observations made in form of inspection note to be enclosed.
29. Whether the Conservator of Forests agree with the information given in Part-II and the recommendations of Deputy Conservator of Forests.
30. Specific recommendation of Conservator of Forests for acceptance or otherwise of the proposal with detailed reasons.

Date:

Signature-----

Place:

Name-----

Official Seal-----

PART - IV

(To be filled in by the Nodal Officer or Principal Chief Conservator of Forests or Head of Forest Department)

31. Detailed opinion and specific recommendation of for acceptance or otherwise of the proposal with remarks

(While giving opinion, the adverse comments made by the Conservator of Forests or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed and critically commented upon).

Date:

Signature-----

Place:

Name-----

Official Seal-----

PART - V

(To be filled in by the Secretary in charge of Forest Department or by any other authorised officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

32. Recommendation of the State Government:

(Adverse comments made by any officer or authority in Part-II or Part -III or Part-IV above should be specially commented upon)

Date:

Signature-----

Place:

Name-----

Official Seal-----

[F. No. 11-43/2013-FC]

M. S. NEGI, Inspector General of Forests (Forest Conservation)

Note: The Principal rules were published in the Gazette of India vide number G.S.R. 23 (E) dated the 10th January, 2003 and subsequently amended vide G.S.R 94 (E) dated the 3rd February, 2004 and vide G.S.R. 107 (E) dated the 9th February, 2004.